


19/12/19

वकील वादी के प्रापत्र पर आज पत्रावली
तक की जाकर पेश हुई प्रापत्र आ. सि. हो।
प्रार्थना पत्र पर वकील वादी को सुना गया।
वकील वादी ने अपनी बहस में कष्ट की
पक्षकारण के मध्य बहामी राजीनामा (लोक
अदालत की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए)
हो गया है वादी अपना दावा चलाना नहीं
चाहता है अतः प्रापत्र वादी का अकारण
किया गया वकील वादी अपना दावा को
चलाना नहीं चाहता है अतः वाद वादी
स्वारिज किया जाता है पत्रावली बाद
तकमील दालिद दफ्तर हो सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
अलवर

